

कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

क्रमांक / एफ.21 / स्था. / 2011 / 208

दिनांक : 5 सितम्बर, 2011

कार्यालय आदेश

प्रशासन शहरों के संग अभिवान 2011 दिनांक 5 सितम्बर, 2011 से 30 सितम्बर, 2011 तक निम्नानुसार आयोजित किये जाएंगे:-

क्र.सं.	दिनांक	वार्ड सूरसागर	वार्ड शहर	वार्ड सरदारपुरा
1-	5 सितम्बर, 2011	1	23	42
2-	6 सितम्बर, 2011	2	24	43
3-	8 सितम्बर, 2011	3	25	44, 45
4-	9 सितम्बर, 2011	4	26	46
5-	12 सितम्बर, 2011	5	27	49
6-	13 सितम्बर, 2011	6	28	50, 51
7-	14 सितम्बर, 2011	7	29	52, 53
8-	15 सितम्बर, 2011	8	30	54
9-	16 सितम्बर, 2011	9	31	55
10-	19 सितम्बर, 2011	10, 11	32	56
11-	20 सितम्बर, 2011	12	33, 34	57
12-	21 सितम्बर, 2011	13	35, 36	58
13-	22 सितम्बर, 2011	14, 15	37	59
14-	23 सितम्बर, 2011	16, 17	38	60
15-	26 सितम्बर, 2011	18, 19	39	61
16-	27 सितम्बर, 2011	20	40	62
17-	29 सितम्बर, 2011	21, 22	41	63
18-	30 सितम्बर, 2011	65	47, 48	64

उपरोक्त शिविरों में प्राधिकरण की ओर से उपरिथत सुनिश्चित करने एवं कार्य सम्पादन करने हेतु निम्नानुसार आदेश जारी किये जाते हैं:-

1- शिविर में संबंधित उपायुक्त, अधिशाषी अभियन्ता, तहसीलदार एवं संबंधित धारा 90-बी नियमन शाखा का संबंधित लिपिक अनिवार्य रूप से उपरिथत रहकर प्राधिकरण द्वारा निष्पादित किये जाने वाले कार्य जिनकी सूची इस कार्यालय आदेश के परिशिष्ट-ब के रूप में संलग्न है, के संबंध में आवेदन-पत्र प्राप्त करेंगे तथा रजिस्टर में निम्नानुसार उन्हें दर्ज करेंगे:-

क्र.सं.	दिनांक	आवेदक का नाम	परिवाद का विवरण	संबंधित अधिकारी का नाम / पदनाम
1	2	3	4	5

सायकल शिविर समाप्ति के पश्चात् प्राप्त समस्त आवेदन पत्रों को नागरिक सुविधा केन्द्र में जमा करवायेंगे।

2- आसवाल डाटा के प्रभारी अधिकारी उक्त आवेदन-पत्रों को अलग फाइल में इनका इन्दाज करेंगे तथा संबंधित को वितरित करवाने की कार्यवाही करेंगे।

3- संबंधित उपायुक्त यह सुनिश्चित करेंगे कि संबंधित लिपिक द्वारा प्राप्त आवेदन-पत्रों को उपरोक्तानुसार रजिस्टर में दर्ज कर उन्हें ओसवाल डाटा के प्रतिनिधि को सुपुर्द कर दिया है।

साचिव

जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

कमाक/एफ.21/स्था./2011/208/217

दिनांक : 5 सितम्बर 2011

प्रतिलिपि वास्ते सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है--

1. अध्यक्ष महोदय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
2. आयुक्त महोदय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
3. निदेशक-अभियांत्रिक/आयोजना/वित्त/विधि, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
4. उपायुक्त-पूर्व/पश्चिम/उत्तर/दक्षिण, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
5. अधीक्षण अभियन्ता, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
6. श्री..... अधिशाधी/सहायक अभियन्ता, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
7. उप नगर नियोजक/रेंज फोरेस्ट ऑफिसर/वरिष्ठ लेखाधिकारी श्री विजय कुमार सोनजे/श्री बशीलाल प्रजापत, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
8. श्री हनुमानसिंह/श्री नारायणराम इंदालिया, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
9. प्रभारी, ओसवाल डाटा प्रासेस, कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
10.

साचिव

जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण तथा नगर सुधार न्यासों द्वारा किये गये कार्य

रिपोर्ट की अवधि दिनांक से दिनांक तक

क्र. सं.	कार्य का नाम	संख्या	विवरण
1.	कृषि भूमि पर बसी आवासीय कॉलोनियों का नियमन एवं पट्टा विलेख जारी करना		
2.	रूपान्तरित आवासीय कॉलोनियों से संबंधित वरिष्ठ/उप नगर नियोजकों के क्षेत्राधिकार में वर्षों से लम्बित ले-आउट प्लानों को 01.10.2011 से पूर्व अनुमोदित करवाया जाकर प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान आयोजित किये जाने वाले शिविरों में संबंधित भूखण्डधारियों को पट्टा-विलेख जारी करने का कार्य।		
3.	रूपान्तरित पूर्व अनुमोदित आवासीय कॉलोनियों से संबंधित भूखण्डधारियों को पट्टा-विलेख जारी करने का कार्य।		
4.	निकाय क्षेत्रों में सड़क मरम्मत/पेय रिपेयर/रोड़ मार्किंग का कार्य		
5.	निकाय क्षेत्रों में स्ट्रीट लाईटों के रख-रखाव एवं मरम्मत का कार्य		
6.	भूखण्डों के नाम हस्तान्तरण का कार्य		
7.	बकाया लीज राशि की वसूली का कार्य कुल बकाया I. दी गई छूट की राशि II. वसूल की गई राशि		
8.	भूखण्डों के पुनर्गठन एवं विभाजन का कार्य		
9.	खाचा भूमि आवंटन का कार्य		
10.	750 वर्गमीटर साईज से कम रिहायशी भूखण्डों के नक्शे अनुमोदन का कार्य।		
11.	आवासीय कॉलोनियों में अव्यवस्थित रूप से चल रही धड़ी व थैला इत्यादि का स्थल चयन कर व्यवस्थित करना।		
12.	पार्किंग स्थलों के चिन्हीकरण का कार्य।		
13.	राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किये गये मास्टर प्लान/ड्राफ्ट मास्टर प्लान का शिविर स्थल पर प्रदर्शन किया जाकर आपत्तियां एवं सुझाव आमन्त्रित करने का कार्य।		
14.	शहर के मुख्य कार्य मार्गों पर यातायात की व्यवस्था को सुचारु रूप से नियंत्रित करने के लिये सड़क सीमा में अतिक्रमित किये गये स्थलों को मुक्त कराने का कार्य।		
15.	क्वार्टर की बकाया किश्तों में दी गयी छूट की राशि क्वार्टर की बकाया किश्तों से जमा राशि		